



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270231
CG-DL-E-17022026-270231

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]
No. 819]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 859(अ).—केंद्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 5 के उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा मैसर्स अफकॉम होलिंग्स लिमिटेड (अफकॉम) जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 2, एलआईसी कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्णन नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041, भारत में है, को उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "नामित भारतीय वाहक" के रूप में निर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 28011/1/2025-एसटी-II-डीओआर]

मुथुरमन सी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 859(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby specifies M/s. Afcom Holdings Limited (Afcom) having its registered office at No. 2, LIC Colony, Dr. Radhakrishnan Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041, India as “designated Indian carrier” for the purposes of the said sub-section.

[F. No. 28011/1/2025-ST-II-DOR]

MUTHURAMAN C, Under Secy.